International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.168-169

मानवाधिकार एवं नवाचार

संगीता आर्य*
डॉ. रविबाला सोलंकी**

प्रस्तावना

व्यक्ति, समाज और राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति को अपनी अन्तर्निहित व प्रकृति – प्रदत्त क्षमताओं, प्रतिभाओं और शक्तियों के विकास के समुचित अवसर, सुविधाएँ व साधन प्राप्त हो। इसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास नही हो पाता जिससे प्रकृति– प्रदत्त क्षमताएँ व प्रतिभाएँ अविकसित रह जाती है। इन क्षमताओं के विकास के लिए मनुष्य समय–समय पर समाज व राज्य के सम्मुख अपनी माँगे रखता है। जब इन माँगों को समाज व राज्य द्वारा मान्यता मिल जाती है तो वे अधिकार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार मानव जाति को अपनी प्रतिभा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा कुछ सुविधाएँ व साधन उपलबध है। जब इन साधनों एवं सुविधाओं को राज्य, समाज एवं समस्त मानव जाति द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है तो ये अधिकार, मानव अधिकार कहलता है। मानवाधिकार, सम्मानपूर्वक एवं अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार में वे सभी बातें सम्मिलित है जो सार्थक जीवन जीने के लिए अपेक्षित है।

मानव अधिकार में हवा पानी ही नही बल्कि सम्मानपूर्वक जीने, अपने पोषण एवं रक्षण के वे सभी उपागम सम्मिलित है जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु अनिवार्य है जैसे – चिकित्सा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान आदि। अतः मानव अधिकारों में वे सभी अधिकार सम्मिलित किये जाते है जो व्यक्ति को उसमें निहित मूल प्रवृत्तियों के पूर्ण विकास हेतु आवश्यक है। इन अधिकारों से ही सामाजिक वातावरण में सौहार्द बंधुता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। सौहार्द के वातावरण में एक व्यक्ति का मानवीय अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्त्तव्य को आरोपित करता है और इस कर्त्तव्य के अनुपालन को विधि द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। मानव अधिकारों में पुरूषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किये गये है स्त्री और पुरूष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता समान रूप से प्राप्त है। इन स्वतन्त्रताओं में महिला एवं पुरूष दोनों को समान सह–अस्तित्व, ऊँच–नीच के बंधन से मुक्ति, जात–पात के भेदभाव की समाप्ति तथा धर्म एवं साम्प्रदायिक भावना का परित्याग समाहित है। पुरूषों और महिलाओं के साथ–साथ सन् 1989 में एक करार कर पहली बार बच्चों को भी मानव की भाँति अधिकार दिये गये एवं उनकी बुनियादी जरूरतें, पोषण, स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा स्वीकार किये गये। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि ''बैपसक पे जीम जिीमत वि उंद'' अर्थात् बच्चा ही भावी मनुष्य का पिता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ही सारे राष्ट्र का विकास निर्भर होता है।

बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता सर्वप्रथम सन् 1924 में जेनेवा घोषणा में हुई। इसमें बच्चों के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक संरक्षण पर बल दिया गया। सन् 1948 के मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा–पत्र के अनुच्छेद 25 में माँ और बच्चों के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया गया। 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को पारित किया, जिसका अनुमोदन भारत समेत 191 देशों ने किया। 54 अनुच्छेदों वाली इस घोषणा में बच्चों के बुनियादी अधिकारों जैसे पालन–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीने के अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार आदि अनेक

* शोद्यार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोध–निर्देशिका, प्राचार्या, तिलक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज फॉर वूमन, जयपुर, राजस्थान।

अधिकारों का समावेश किया गया। लेकिन इस अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धों व संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में बच्चों तथा महिलाओं सहित मानव की दशा शोचनीय है। इसलिए मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, बच्चों में प्राथमिक स्तर से ही मानवाधिकार शिक्षा के माध्यम से शुरू कर देनी चाहिए। शिक्षा ही एक मात्र साधन है जिनके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय संवेदनाओं में आवश्यक परिवर्तन लाकर विचारों के आदान – प्रदान को सम्भव बनाया जा सकता है। जिससे आपसी वैमनस्य को दूर कर सहिष्णुता, समानता और शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व को कायम किया जा सकता है।

मानवाधिकारों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, मानवाधिकारों की जानकारी के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को मानवाधिकार शिक्षा दी जानी चाहिए। जिससे व्यक्तित्व का संर्वागीण विकास हो सके। साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और दूसरों के अधिकारों का सम्मान कर सकें। वर्तमान समय में शिक्षा के पाढ्यक्रम का स्वरूप बड़ा ही जटिल हो गया है। पाढ्यवस्तु की जटिलता को दूर करके, शिक्षण को सरल व सुगम बनाने के लिए शिक्षक नवाचार की विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करते है। इन विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग मानवाधिकार शिक्षा में किया जाये तो व्यक्तियों में मानवाधिकारों का विकास अधिक तेजी से होगा।

नवाचार, एक नया विचार, एक व्यवहार है, अर्थात् शिक्षा को सरल, उपयोगी, व्यवहारिक, रूचिकर, रचनात्मक क्रियात्मक व प्रासंगिक बनाना नवाचार है। नवाचार में बच्चों को नाटक, खेल–खेल, वाद–विवाद, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षाप्रद–फिल्म, पॉवर पॉईट (PPT) मॉड्यूल शिक्षण आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। इससे बच्चों का सकारात्मक विकास, नैतिक मूल्यों व आदर्शों का विकास संभव है। वर्तमान शिक्षण विधियों और पढ़ाने के तौर–तरीकों में नवीनता का समावेश करके, शिक्षक, विद्यार्थियों का रूझान शिक्षा के प्रति बढ़ा सकते है। किताबी ज्ञान के अलावा छात्रों के मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास करना भी शिक्षक का ही दायित्व है। छात्रों को उनके लक्ष्य को हासिल करवाने के लिए परम्परागत तरीकों के अलावा ऐसे नए तरीके भी खोजे जा सकते है जो छात्र–छात्राओं के अस्तित्व से छात्र–छात्राओं को अवगत करा सकें या उनके अन्दर जो हुनर, कौशल, प्रतिभा है उससे उनकी पहचान कराने में कारगर सिद्ध हो सकें।

नवाचार मतलब नए विचार, नीतियां जो कि बदलते दौर में, परिवेश में लाभदायक सिद्ध हों। नवाचार कोई नया कार्य करना मात्र नहीं है बल्कि किसी भी कार्य को नए तरीके से कराना नवाचार है।

कार्ल जंग –''यदि हम बच्चों में कुछ बदलना चाहते है तो हमें पहले खुद को देख लेना चाहिए कि कहीं उससे अच्छा खुद में कुछ बदलना तो नही है।''

शिक्षा को समयानुकूल बनाने के लिए शैक्षिक क्रियाकलापों में नई विधियाँ, नयी तकनीकियों ने अपनी उपयोगिता को समय–समय पर सिद्ध किया है। यदि विद्यार्थियों को नवीन व रोचक विधियों से अध्यापन कराया जाएगा तो ना केवल उनमें पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा होगा बल्कि वह पहले से जल्दी व बेहतर सीखेगें और उनके परिणाम भी बेहतर आयेगें अर्थात् विद्यार्थियों को मानवाधिकार शिक्षा नवाचारों से दी जाए तो उनमें मानवाधिकारों का विकास अधिक तेजी से होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अरोड़ा, रीटा, ''शिक्षा में नव चिन्तन'' जयपुर : शिक्षा प्रकाशन।
- शर्मा, डॉ माता प्रसाद, ''मानवाधिकार एवं शिक्षा'' अपोलो प्रकाशन, जयपुर, 2010, पृ.स.17,18
- सैनी, डॉ. रामसिंह, ''समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम– भाग 1, ''गगन दीप पब्लिकेशन्स, मौजपुर, दिल्ली, 2007, पृष्ठ संख्या 11,12
- teachersofindia.org
- bhashadwar.blogspot.com
- wikipedia.ord

❖◆❖